फाइल संख्या-71-1002(002)/26/2021

116/2023/I/372268/2023

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
उप सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 21 अगस्त, 2023

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकीय मेडिकल कालेज यथा-आगरा/आजमगढ़/ बांदा/बदायूँ/ गोरखपुर/ झांसी/जालौन/कानपुर/ कन्नौज/ मेरठ/प्रयागराज/सहारनपुर के विभिन्न विभागों में स्थापित चिकित्सीय/गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।**

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एम0ई0/पर्चेज/2023-24/214, दिनांक 04.08.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा राजकीय मेडिकल कालेजों में उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व लेखा पक्ष में 2210-05-105-03-0376-राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन हेतु 29-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि रू0 2400.00 लाख के सापेक्ष निम्नलिखित राजकीय मेडिकल कालेजों में स्थापित चिकित्सीय/गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु निम्न विवरणानुसार कुल **रू0 1590.31 लाख (रू0 पन्द्रह करोड़ नब्बे लाख इकतीस हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0सं0	मेडिकल कालेज का नाम	अनुरक्षण के कार्य	**अवमुक्त की जाने वाली धनराशि**
1	राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर	चिकित्सीय /गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	50.00
2	राजकीय मेडिकल कालेज, प्रयागराज	चिकित्सीय/गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	210.00
3	राजकीय मेडिकल कालेज, मेरठ	चिकित्सीय/गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	140.00
4	राजकीय मेडिकल कालेज, झांसी	चिकित्सीय /गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	135.31
5	राजकीय मेडिकल	चिकित्सीय /गैर चिकित्सीय उपकरणों की	250.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

	कालेज, आगरा	ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	
6	राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर	चिकित्सीय /गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	250.00
7	राजकीय मेडिकल कालेज, बांदा	चिकित्सीय /गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	55.00
8	राजकीय मेडिकल कालेज, सहारनपुर	चिकित्सीय /गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	100.00
9	राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज	चिकित्सीय /गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	100.00
10	राजकीय मेडिकल कालेज, बदायूँ	चिकित्सीय /गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	100.00
11	राजकीय मेडिकल कालेज, जालौन	चिकित्सीय /गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	100.00
12	राजकीय मेडिकल कालेज, आजमगढ	चिकित्सीय /गैर चिकित्सीय उपकरणों की ए0एम0सी0/सी0एम0सी0	100.00
	योग-		1590.31

3- उपर्युक्तानुसार राजकीय मेडिकल कालेजों में अनुरक्षण मद के अन्तर्गत धनराशि निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन निर्गत की जा रही है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों-

1. अनुरक्षण मद में स्वीकृत की जा रही धनराशि का सदुपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों/शासनादेशों के अधीन सुनिश्चित किया जाएगा तथा धनराशि के व्यय हेतु संबंधित प्रधानाचार्य पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे।
2. उपकरणों की ए0एम0सी0 क्रय मूल्य के 03 प्रतिशत सीमा या क्रय के समय निविदा में अनुमोदित दर से की जायेगी।
3. उपकरणों की सी0एम0सी0 अधिकतम 05 प्रतिशत क्रय मूल्य की सीमा या क्रय के समय निविदा में अनुमोदित सी0एम0सी0 की दर से करायी जायेगी।
4. एक्सेसरीज एवं कन्ज्यूमेबिल्स का क्रय करने से पूर्व दर औचित्य का निर्धारण करना आवश्यक होगा। यदि क्रय के समय निविदा में एक्सेसरीज एवं कन्ज्यूमेबिल्स की दरों का भी अनुमोदन किया गया है तो उसी पर क्रय किया जायेगा। दर, औचित्य निर्धारण का उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य का होगा।
5. ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 हेतु मूल निर्माता/अधिकृत विक्रेता या उसके न होने पर ई-निविदा कराकर ए0एम0सी0 03 प्रतिशत की सीमा तथा सी0एम0सी0 05 प्रतिशत की सीमा में करायी जायेगी।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का 60 प्रतिशत का व्यय चिकित्सीय व 40 प्रतिशत का व्यय गैर चिकित्सीय उपकरणों व अन्य हेतु किया जायेगा, इसमें विचलन की स्थिति में शासन की अनुमति अनिवार्य होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. टेण्डर डाक्यूमेंट एवं फर्म चयन की प्रकिया में फर्म द्वारा संलग्न किये गये समस्त प्रकार के प्रपत्रों की जॉच एवं सत्यापन कालेज स्तर पर गठित समिति द्वारा किया जायेगा। किसी भी विषम स्थिति में उत्तरदायित्व प्राधनाचार्य/क्रय समिति का होगा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप-संख्या-2 / 2023/ बी-1-227/दस-2022-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,90,31,000 (रुपये पंद्रह करोड़ नव्वे लाख इकतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आयव्ययक मे- अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 2210051050376 राजकीय मेडिकल कालेजों में चिकित्सीय सेवाओं का संचालन मानक मद 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप-संख्या-2 / 2023/ बी-1-227/दस-2022-231/2023, दिनांक 17.03.2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

<u>संख्या/तद्दिनॉक, उपर्युक्तानुसार।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज यथा-आगरा/आजमगढ़/बांदा/बदायूँ/गोरखपुर/ झांसी/जालौन/ कानपुर/कन्नौज/मेरठ/प्रयागराज/सहारनपुर।
4. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज यथा-आगरा/आजमगढ़/बांदा/बदायूँ/गोरखपुर/ झांसी/ जालौन/कानपुर/ कन्नौज/ मेरठ/प्रयागराज/सहारनपुर।
5. वरिष्ठ कोषाधिकारी यथा-आगरा/आजमगढ़/बांदा/बदायूँ/ गोरखपुर/ झांसी/जालौन/कानपुर/कन्नौज/ मेरठ/प्रयागराज/सहारनपुर।
6. नियोजन अनुभाग-4
7. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0 पी0 सिंह)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in